सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स०	"संविधान के 103वां संशोधन द्वारा E.W.S. के लिये 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है । यह आरक्षण ऐसे लोगों को देय है जो अन्य किसी आरक्षण कोटि से आच्छादित नहीं हैं । भारत सरकार द्वारा दिनांक-31.01.2019 को E.W.S. से संबंधित ऑफिस मेमो नं0-36039/1/2019 निर्गत किया गया है जिसमें कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के विनिमय का प्रावधान नहीं है परंतु बिहार अधिनियम 2,2019 की धारा 11 में E.W.S. कैटेगरी में विनिमय का प्रावधान कर दिया गया है फलस्वरूप तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन सं०-16/2019 में सामान्य चिकित्सकों के E.W.S. के लिये आरक्षित पदों पर अन्य आरक्षित वर्गों के 97 व्यक्तियों का चयन कर दिया गया । पदों की कुल संख्या 4012 थी जिसमें से E.W.S. कैटेगरी के लिये मात्र 343 पदों को चिन्हित किया गया जबकि 10 प्रतिशत एवं रोस्टर के अनुरूप 401 पद आरक्षित होने चाहिये थे । अत: E.W.S. कैटेगरी के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिये बिहार अधिनियम 2,2019 की धारा 11 को विलोपित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"	सामान्य प्रशासन

2. श्री सिद्धार्थ सौरव, स०वि०स० श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स० श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० श्रीमती नीतु कुमारी, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्री विजय कुमार, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० श्री राम विशुन सिंह, स०वि०स०	"आत्मा किसान सलाहकार समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष के चयन सम्बन्धी नेशनल मिशन फॉर Agriculture and extension तकनीक को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये गाईड लाईन के कंडिका 6 में यह स्पष्ट है कि प्रखण्ड अध्यक्ष, किसान सलहाकार समिति (BFAC) का चयन चुनावी प्रक्रिया के तहत Rotation basis पर होना है । बिहार सरकार कृषि विभाग के नियमावली अनुदेश में अध्यक्ष के चयन में कंडिका (3: 5: 1) में उल्लेखित अधिकतम शर्तों को पूरा करने वाले किसान को समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष चयन प्रक्रिया को तवज्जों नहीं देते हुए कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए चयन किया गया है । अत: उक्त वर्णित कंडिका का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा आत्मा किसान सलाहकार समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष का चयन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"

कृषि

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2021- 797 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-07/2021- 797 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

01/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
1/3/21